



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]
No. 329]नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2009/फाल्गुन 1, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2009/PHALGUNA 1, 1930स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2009

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY
WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2009

का.आ. 522(अ).—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के उपरान्त उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में, प्रथम अनुसूची "राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड" में प्रविष्टि "डिप्लोमा प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड (भेषज विज्ञान) [राष्ट्रीय बोर्ड (भेषज विज्ञान) में डिप्लोमा प्राप्त]" के उपरान्त निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"नोट :—1. अनुसूची में शामिल डिप्लोमा प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड (डी. एन. बी.) अर्हताओं को चिकित्सा संस्थानों में शिक्षण पदों पर भर्ती समेत सभी प्रयोजनों के लिए संबंधित विशिष्टता अथवा अतिविशिष्टता, जैसा भी मामला हो, एम. डी., एम. एस., डी. एम. तथा एम. सी. एच. अर्हताओं के समतुल्य माना जाएगा।

2. डिप्लोमा प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड पाठ्यक्रमों को जारी रखने के दौरान प्राप्त शिक्षण अनुभव को चिकित्सा संस्थानों में शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए शिक्षण अनुभव के तौर पर माना जाएगा।"

[सं. वी-11025/12/2004-एम.ई.पी.-(1)]
देबाशीष पाण्डा, संयुक्त सचिव

S.O. 522(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (Act 102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments to the First Schedule to the said Act, namely :—

2. In the Medical Council Act, 1956, in First Schedule "National Board of Examination", after the entry "Diplomate National Board (Pharmacology) [Diplomate in N.B. (Pharm)]", the following note shall be inserted, namely :—

"Note :—1. The Diplomate National Board (DNB), qualifications included in this Schedule shall be treated as equivalent to M. D., M. S., D. M. and M. Ch. qualifications of the respective specialty or super specialty, as the case may be, for all purposes including appointment to the teaching posts in the medical institutions.

2. The teaching experience gained while pursuing DNB courses shall be treated as teaching experience for appointment to the teaching posts in the medical institutions."

[No. V-11025/12/2004-M.E.P.-(1)]
DEBASISH PANDA, Jt. Secy.